संख्या-35/2022/224/12-5-2022-सा०-01/2019

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. कृषि निदेशक
   उत्तर प्रदेश,
   कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक: 10 मई, 2022**

विषय:-पी0एम0 किसान योजना के लम्बित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही हैं कि पी0एम0 किसान योजना एक शत प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है, जिसके अन्तर्गत समस्त कृषकों/भूमिधरों (जो एक्सक्लूशन क्राइटेरिया में नहीं आते हैं), को प्रत्येक वर्ष 3 किश्तों में कुल 6000/- रू0 बैंक खाते में सीधे प्राप्त होता है।

2. इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध जानकारी के अनुसार लगभग 2.55 करोड़ कृषकों को कम से कम एक बार लाभ दिया गया है। उक्त कृषकों में अभी भी लगभग 6.18 लाख कृषक हैं, जिनको कतिपय किश्त निर्गत होने के पश्चात अगली किश्त इसलिए रुकी हुई है, क्योंकि उनके डेटाबेस में उनका आधार संख्या गलत दर्ज हो गया है अथवा डेटाबेस में आवेदन पत्र के अनुसार उल्लिखित नाम और आधार कार्ड में दिए गए नाम में भिन्नता है।

3. यद्यपि जिला प्रशासन के माध्यम से समन्वित प्रयास द्वारा बड़ी संख्या में लाभार्थियों के डेटाबेस में सुधार करते हुए उनको लाभ दिया जाना आरम्भ कर दिया गया है, परन्तु अवशेष कृषकों का भी डेटा सुधार करते हुए उनके लम्बित प्रकरणों को निस्तारित किया जाना है।

4. भारत सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि समस्त लाभार्थियों का ई0-के0वाई0सी0 दिनांक 31.5.2022 तक सम्पन्न करा लिया जाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक लगभग 53 प्रतिशत लाभार्थियों का ही ई0-के0वाई0सी0 हो पाया है। ई0-के0वाई0सी0 पी0एम0 किसान पोर्टल पर स्वयं लाभार्थी द्वारा अथवा कॉमन सर्विस सेन्टर पर जाकर निर्धारित शुल्क देकर कराया जा सकता है। इस सम्बन्ध में तय सीमा के अन्दर के0वाई0सी0 किया जाना अनिवार्य है ताकि भविष्य की किश्तें भेजने में कोई बाधा न आने पाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. यह भी उल्लेखनीय है कि अभी भी 80,358 लाख कृषकों के नवीन आवेदन जो पी०एम० किसान पोर्टल पर सीधे प्राप्त हुए है, अभी भी लम्बित है। इन कृषकों के आवेदन पत्रों का सत्यापन कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों से कराते हुए इनकी पात्रता का परीक्षण कर पात्र कृषकों के अभिलेखों का सत्यापन करते हुए उनको योजना का लाभ दिलाया जाना है।

6. पूर्व में भौतिक तथा ऑनलाईन सत्यापन के पश्चात लगभग 3,15,010 लाभार्थी विभिन्न कारणों से योजना हेतु अपात्र पाए गए हैं। इन लाभार्थियों को चिन्हित कर लिया गया है और उनको उपलब्ध कराई गई समस्त किश्तों की वसूली की जानी है। यह रिफण्ड/वसूली अपात्र लाभार्थी ऑनलाईन पोर्टल पर स्वयं भी कर सकते हैं। इस कार्यवाही की भी समीक्षा समय-समय पर की जानी आवश्यक है, जिससे समस्त वसूली की धनराशि पुन: केन्द्र सरकार के सम्बन्धित खाते में दर्ज हो सके।

7- अत: इस संबंध में आपसे अपेक्षा है कि इसकी साप्ताहिक समीक्षा करते हुए राजस्व विभाग और कृषि विभाग की टीम बनाकर आधार इन्वैलिड, नाम मिस्मैच तथा नवीन आवेदन पत्रो का शत प्रतिशत सत्यापन दिनांक 30.06.2022 तक सुनिश्चित कराते हुए इनका गुण-दोष पर निस्तारण कराएं। साथ ही समस्त लाभार्थियों का ई0-के0वाई0सी0 भी 31.05.2022 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांक उपरोक्त</u>।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
डॉ0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।